

पत्रांक:-07/स्थापना-02-06/2024 534

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विक्रम विरकर, भा.प्र.से.,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 30/01/2026

विषय : राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं को अन्तर जिला स्थानांतरण के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि को विस्तारित करने के संबंध में।


प्रसंग: अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का पत्रांक-4434, दिनांक-10.12.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के अलोक में अन्तर जिला स्थानांतरित 27,171 शिक्षकों में से 'ई-शिक्षाकोष पोर्टल' पर पाँच-पाँच प्रखंड का विकल्प उपलब्ध कराने वाले कुल 22,928 शिक्षकों को जिलों द्वारा प्रखंड एवं विद्यालय आवंटित किया जा चुका है। इन शिक्षकों में से 21,700 शिक्षकों (95 प्रतिशत) ने विभाग द्वारा निर्धारित तिथि यथा 21.01.2026 तक आवंटित विद्यालय में योगदान कर लिया है। इस प्रकार 1,228 शिक्षकों ने निर्धारित तिथि तक आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं किया है। ऐसे में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन स्थानांतरित शिक्षकों को आवंटित विद्यालय में योगदान हेतु एक और अवसर प्रदान करते हुए योगदान की अवधि को दिनांक-07.02.2026 तक विस्तारित किया जाय।

अतः निदेश है कि अन्तर जिला स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के तहत ऐसे शिक्षक, जिन्हें विद्यालय आवंटित है एवं दिनांक-21.01.2026 तक आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं किये हैं, का आवंटित विद्यालय में दिनांक-07.02.2026 तक योगदान स्वीकृत किया जाय।

विश्वासभाजन



(विक्रम विरकर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07/स्थापना-02-06/2024...534

पटना, दिनांक ...30-01-2026


प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07 / स्थापना-02-06 / 2024...534

पटना, दिनांक ...30-01-2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-07 / स्थापना-02-06 / 2024...534

पटना, दिनांक ...30-01-2026

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक, प्राथमिक शिक्षा